

न्यायालय-कु.रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कवर्धा

--संशोधित आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025

कबीरधाम दिनांक-31.10.2025

मैं कु.रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) दांडिक कार्य रिमांड के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.10.2025 को जारी आदेश का आंशिक संशोधन करते हुए अत्यावश्यक/रिमांड कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार आदेशित करती हूँ :-

क्र.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादित करने का दिनांक
1.	कु. रुचिता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम छ.ग.	23.11.2025, 30.11.2025
2.	किरण पन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम छ.ग.	08.11.2025, 09.11.2025, 16.11.2025
3.	कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम छ.ग.	02.11.2025, 05.11.2025

दिनांक-31.10.2025

स्थान-कबीरधाम(कवर्धा)

Sd/-
(कु.रूपल अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

प्रतिलिपी:-

1. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम।
2. श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंडरिया, जिला-कबीरधाम।
3. कु. रुचिता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम।
4. किरण पन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला कबीरधाम।
5. कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम छ.ग.।
7. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, कबीरधाम छ.ग. को जिला न्यायालय के वेब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ कबीरधाम एवं पंडरिया, जिला-कबीरधाम।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 31.10.2025

स्थान-कबीरधाम(कवर्धा)



Sd/-
(कु.रूपल अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)